19.12.17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/ प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग/ शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि0 31/1/17 को पेश हो।

31/1/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/ प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग/ शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि0 31/1/18 को पेश हो।

31/1/18 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने आज शपथ ग्रहण के कारण कोर्ट कार्य स्थगीत रखा है। अतः पूर्ववत पत्रावली दि0 14/3/18 को पेश हो। अभिभाषक गण पेशी स्वयं प्राप्त कर लें।

14/3/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 24/4/18 को पेश हो।

24/4/18 पत्रावली पेश हुई, वादनी एवं प्रतिवादी नं0 1 उपस्थिति, वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत कर वादनी ने निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 183 रकबा 0.50 हे0 भूमि में वादनी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, जिसे मैं अपनें सगे भाई प्रतिवादी नं0 1 मोडूलाल के पक्ष में छोडती हूॅ। मेरा उक्त 1/2 हिस्से को प्रतिवादी नं0 1 मोडूलाल पुत्र जोधा जाति मेघवाल के नाम दर्ज कर दिया जावें। राजीनामा अनुसार वादनी का वाद डिक्री कर वादनी का नाम खाते से

मोडूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
गवाह [illegible] महेन्द्रकुमार [illegible]	खारिज फरमाया जावें। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, पक्षकार राजीनामा अनुसार डिक्री किये जानें में सहमत है तथा सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये, वादनी की पहचान अधिवक्ता श्री कौशल किशोर वैष्णव एवं प्रतिवादी नं0 1 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद शर्मा द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर मनन किया। वादनी पुष्पा बाई उर्फ मंगली बाई पुत्री जोधा एवं प्रतिवादी नं0 1 मोडलाल पुत्र जोधा दोनों भाई–बहिन है। इस बाबत् गवाहान ने भी आदेशिका पर हसमति बाबत् हस्ताक्षर किये। वादनी अपनें भाई के पक्ष में अपना हिस्सा अपनी सहमति से छोड रही है, जो विधिवत् मान्य है। किन्तु वादनी अपनें हिस्से की आराजी अपनें भाई के पक्ष में छोड रही है, जिससे राजकीय हानि होना जाहिर आता है। लिहाजा वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 183 रकबा 0.50 हे0 भूमि में से मांगीबाई का नाम डिलीट किया जावें तथा प्रतिवादी नं0 1 मोडूलाल पुत्र जोधा को ख0नं0 183 रकबा 0.50 हे0 भूमि (सम्पूर्ण) का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नं0 1 से नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर पालना सुनिश्चित करें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।